


## द्यायालय श्रीमान राजरव मंडल मध्यप्रदेश

### उलवालियर म.प्र.

(कोम्प इंडॉर)

राजस्व पुनरीक्षण क्रमांक  
श्रवण दिनांक



1. सरफराज एहमद सिद्दिकी आयु लगभग 40 वर्ष पिता  
स्व. मुख्तार एहमद सिद्दिकी
2. श्रीमती शबाना सिद्दिकी आयु लगभग 39 वर्ष पति  
इम्तीयाज एहमद सिद्दिकी
3. सना सिद्दिकी आयु लगभग 21 वर्ष पिता इम्तीयाज  
एहमद सिद्दिकी
4. सानिया सिद्दिकी आयु लगभग 19 वर्ष पिता स्व.  
इम्तीयाज एहमद सिद्दिकी
5. मसुद सिद्दिकी आयु 15 वर्ष पिता स्व. इम्तीयाज  
एहमद सिद्दिकी नाबालिक वली एवं प्राकृतिक  
अभिभाविका उसकी माता श्रीमती शबाना सिद्दिकी पति  
इम्तीयाज  
सभी निवासी चन्द्रकला, दाउदपुरा वार्ड, बुरहानपुर  
तहसील व जिला बुरहानपुर म.प्र.

- पुनरीक्षणकर्ता

विश्वनाथ

२०१६ वार्षि ।

James Kausar

Syed Kausar. 2.

Mafej Ahmed 3.

- इफतेखार अहमद आयु लगभग 52 वर्ष पिता मुख्तार  
अहमद सिद्दिकी
- ईरशाद एहमद सिद्दिकी आयु लगभग 44 पिता  
मुख्तार एहमद सिद्दिकी
- क्रमांक 2 व 3 निवासी चन्द्रकला वार्ड, दाउदपुरा,  
बुरहानपुर म.प्र.
- श्रीमती शहनाज हसन आयु लगभग 55 वर्ष पति  
मेहमुद हसन पुत्री मुख्यार एहमद सिद्दिकी

०८(२)  
२१२६१२७ अ.म.

(V)

वालिया

6D0 (30)

निवासी ई/242/2 मुख्य फ्लोट नंबर 3 द्वितीय  
मंजिल आबुलफजल इन्कलेव द्वितीय ओखला नई  
दिल्ली

5. मेहजबीन आयु लगभग 47 वर्ष पति फहीम शेख पुत्री  
मुखतार एहमद सिद्दिकी निवासी डोंगरीपाला गली,  
हमीदिया बिल्डिंग चौथी मंजिल, डोंगरी दादर मुंबई
6. मेहनाज शेख आयु लगभग 45 वर्ष पति मुजीबुर्रहमान  
शेख पिता मुखतार एहमद सिद्दिकी निवासी ईमलीपुरा  
खंडवा जिला खंडवा म.प्र.

- उत्तरदाता

### पुनरीक्षण मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत

पुनरीक्षणकर्ता निम्नलिखित निवेदन करता है :-

पुनरीक्षणकर्ता अधिनरथ न्यायालय श्रीमान  
अनुविभागीय अधिकारी महोदय, बुरहानपुर, के राजस्व अपील  
प्रकरण क्रमांक /अ6/2015-16 में पक्षकार "बुरहानीया  
विरुद्ध श्रीमती तैहजीबुन्निसा" में पारित आदेश दिनांक  
22.7.2016 से पीड़ित एवं व्यथीत होकर यह पुनरीक्षण याचिका  
श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करता है :-

*[Signature]*

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2815-पीबीआर/16

जिला बुरहानपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-1-2019	<p>आवेदकगण की ओर से श्री हेमन्त मूंगी, अभिभाषक उपस्थित   प्रकरण का अवलोकन किया गया   आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है   म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है   उभय पक्ष दिनांक 25-4-2019 को सुनवाई हेतु कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों   अनावेदकगण को सूचना दिया जाये ।</p> <p style="text-align: right;">अध्यक्ष</p> <p style="text-align: left;">श्रीडर</p>	